48

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शनिवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1994 (चैत्र 19, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री चरणदास महन्त, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रयकर अधिनियम 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-1-94 वि.क. पांच (53), दिनांक 30 मार्च, 1994 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, मंदसौर जिले में डोडा चूरा की तस्करी में लिप्त तस्करों पर कार्यवाही न होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, रायसेन जिले की टपरा पठारी खदान के बंधुआ मजदूरों को दी जा रही यातनाओं की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नोबेल कुमार वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रायगढ़ के पातरापाली स्थित जिन्दल स्ट्रिप्स कारखाने में दुर्घटना से कई श्रमिकों की मृत्यु होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को निस्तार हेतु लकड़ी न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट के पंडित मोतीलाल नेहरू आदिम जाति कल्याण छात्रावास के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि का गबन किये जाने की ओर आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री मनोहरलाल राठौर, रामलखन शर्मा, रमेश शर्मा "गुट्टू भैया", सदस्य, भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में डकैती की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), सदस्य, कोरिया वन मण्डल के बैकुण्ठपुर परिक्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री सुनील जैन, सदस्य, सागर जिले के केसली विकासखण्ड में सवर्णों के अत्याचार से एक महिला द्वारा अपनी बच्ची सहित आत्महत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री निर्भय सिंह पटेल, ताराचन्द साहू, रामलखन शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले में डकैती की घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री नन्द कुमार सिंह चौहान, सदस्य, बुरहानपुर तहसील के ग्राम मकाना निवासी युवक के साथ पुलिस द्वारा अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज में नायब तहसीलदार द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर उपमुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बाबूलाल गौर, सदस्य, बस्तर जिले के कोण्डागांव में डकैती की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, उदय मुदलियार, धनेश पटिला, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में डकैतों द्वारा हत्या एवं लूट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री थावरचन्द गेहलोत, बाबूलाल गौर, सदस्य, गरोठ तहसील के ग्राम खजुरीपंथ में दो बच्चों की हुई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.